



कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़
Office of the Inspector General of Registration &
Superintendent of Stamps, Chhattisgarh

द्वितीय तल, वाणिज्यिक कर विभाग -जी०एस०टी० भवन, नार्थ ब्लॉक,
सेक्टर 19, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटलनगर, छ.ग.-492002
Phone : 0771-2512180, Email: igreg.cg@nic.in

2nd Floor, Commercial Tax Department-GST Building
North Block, Sector-19, Capital Complex, Atal Nagar, Nava Raipur
(C.G.)- 492002, Ph.:0771-2512180, email: igreg.cg@nic.in

क्रमांक- 1158/ तक.-3/62/2018

नवा रायपुर, दिनांक : 22/07/2025

प्रति,

(1) जिला पंजीयक समस्त

(छत्तीसगढ़)

(2) उप पंजीयक समस्त

(छत्तीसगढ़)

विषय :- 0.05 एकड़ से कम कृषि भूमि के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025
.....00.....

उपरोक्त विषयक संदर्भित विधेयक के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्र 20 सन् 1959) की धारा 70 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्न परन्तुक स्थापित किया गया है :-

“परन्तु किसी बात के होते हुए भी कृषि भूमि का ऐसा उपखण्ड नहीं बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो”

अतः उक्त संशोधन के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष पंजीयन के लिए प्रस्तुत दस्तावेज के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यदि यह स्पष्ट होता है कि किसी खसरे में से 0.05 एकड़ से कम का उपखण्ड कर विक्रय किया जा रहा है तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन न किया जाए।

महानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ़ रायपुर